आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार GOVT. OF INDIA

ई- स्थायी लेखा संख्या कार्ड e - Permanent Account Number (e-PAN) Card AADCW5048C

नाम / Name	WORLD RICH PRIVATE LIMITED		
निगमन/गठन की तारीख Date of Incorporation / Formation	18/04/2023		
 Permanent Account Number (PAN) facilitate Income Tax Department linking of various documents, including payment of taxes, assessment, tax demand tax arrears, matching of information and easy maintenance & retrieval of electronic information etc. relating to a taxpayer. स्थायी लेखा संख्या (पैन) एक करदाता से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को जोड़ने में आयकर विभाग को सहायक होता है, जिसमें करों के भुगतान, आकलन, कर मांग, टैक्स बकाया, सूचना के मिलान और इलक्ट्रॉनिक जानकारी का आसान रखरखाव व बहाली आदि भी शामिल है । Quoting of PAN is now mandatory for several transactions specified under Income Tax Act, 1961 (Refer Rule 114B of Income Tax Rules, 1962) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट कई लेनदेन के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन) का उल्लेख अब अनिवार्य है (आयकर नियम, 1962 के नियम 114B, का संदर्भ लें) Possessing or using more than one PAN is against the law & may attract penalty of upto Rs. 10,000. एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या (पैन) का रखना या उपयोग करना, कानून के विरुद्ध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। The PAN Card enclosed contains Enhanced QR Code Reader for PAN Card. संलय पैन कार्ड में एनहान्स क्यूआर कोड शामिल है जो एक विशिष्ट एंड्रॉइड मोबाइल ऐप द्वारा पठनीय है। Google Play Store पर इस विशिष्ट मोबाइल ऐप को खोजने के लिए कीवर्ड "Enhanced QR Code Reader for PAN Card" है। 			
उसटाकर विभाग गारत सरकार GOVT. OF INDIA स्थायी लेखा संख्या काई Permanent Account Number Card AADCW5048C गारत सरकार GOVT. OF INDIA स्थायी लेखा संख्या काई Permanent Account Number Card AADCW5048C गार् काई क्षोने/पाने पर क्रुपवा स्थवित करें/जीटाएं: आवल पंत सं वा इकाई, पर एस डी एल ड वी मंबिल, मंत्री स्टोलि, प्रांट नं. 341, सर्वे नं. 997/8, मंडल कालोते ती पर बंगला चीक के पास, उपे - 411 016. स्था / Name WorkLD RICH PRIVATE LIMITED गांव मंडला पंत पंत (1) प्रिक्त करें (1), 100. स्था / Name Bate of Incorporation formation 18/04/2023 गांव मंडला पंत पंत (1) प्रक्रि कर)			

Electronically issued and Digitally signed ePAN is a valid mode of issue of Permanent Account Number (PAN) post amendments in clause (c) in the Explanation occurring after sub-section (8) of Section 139A of Income Tax Act, 1961 and sub-rule (6) of Rule 114 of the Income Tax Rules, 1962. For more details, <u>click here</u>